न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 116/2021
RCMS NO. : 2021/207

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. रामस्वरूप पुत्र घेवरराम
2. हापूराम पुत्र घेवरराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हरकाराम
2. जीयाराम पुत्र हरकाराम
3. पिरता पुत्री हरकाराम
4. ढगलाई पत्नी हरकाराम जाति जाट निवासीगण डिगरना तहसील-जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी

प्रकरण संख्या 196/2018 बअनवान बाबूलाल व अन्य बनाम रामस्वरूप व अन्य में पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 11.06.2019 को सेटेसाईड करने बाबत्।

तारीख रजू:. 16/07/2021

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 30/08/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण बाबूलाल वगैरा ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वादपत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा की आई हुई है जिसके अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है, जमाबन्दी में उनका नाम है मौके पर कब्जा काश्त है खेत के चारो तरफ खन्दक लगी हुई है और दिनांक 10/07/2018 को खेत मे तिल की फसल बो रहे थे इतने मे प्रार्थीगण मौके पर आये और उन्होंने दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया और कहा कि यह कृषि भूमि हमारी है और उनके हक अधिकारो पर कुठाराघात करने लगे तब अप्रार्थीगण ने एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा मे पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रार्थीगण को मिलने के पश्चात दिनांक 24/09/2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बावजूद तामिल के अनुपस्थित मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 11/06/2019 को प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिकी पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का अप्रार्थीगण वादी के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र बाबत् एकपक्षीय डिकी को सेटेसाइड करने का निम्नलिखित आधारो पर श्रीमान् के समक्ष पेश है- 1 प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण बुजुर्ग व्यक्ति है [illegible] प्रार्थी संख्या 1 को सम्मन दिये थे लेकिन प्रार्थी संख्या 1 बुजुर्ग व्यक्ति है और [illegible] बीमार रहते थे इस कारण से उक्त सम्मन नोटिस बाबत अपने परिवार के किसी सदस्य को सूचित नहीं दे पाये और न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। 2 प्रार्थी संख्या 2 जो कि उस दिन गांव में ही थे लेकिन अप्रार्थीगण वादी ने जानबुझकर तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत करके उनको सम्मन नहीं दिया और दोनो ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

म्मन तामिल प्रार्थी संख्या 1 से करवाये गये थे और प्रार्थी संख्या 1 बुर्जुग व्यक्ति है था उस समय बिमार थे उनको कम दिखाई देता था उनको सम्मन नोटिस में क्या रखा है इस बाबत् कोई जानकारी नहीं होने से वह न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सके, स कारण न्यायालय ने प्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई तामिल को सभी प्रतिवादीगण की ामिल मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो काबिल सेटेसाइड के है। 3 वादग्रस्त सम्पति का प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने खरीद कर रखी थी और पिछले करीबन 50 वर्षो से ार्थीगण प्रतिवादीगण का ही मौके पर कब्जा काश्त है, वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थीगण के पेता व पति ने दिनांक 13/09/1985 को 7 रूपये के स्टाम्प पर एक लिखित बेचाननामा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में तकमील किया तब से लेकर के आज दिन तक प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का कब्जा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण का नाम इन्द्राज है और इसी आधार पर अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई और वह बेचान की गई सम्पति को राजस्व रेकर्ड में नाम रह जाने मात्र से पुनः हडप करना चाहते है। इसलिए उन्होने न्यायालय हाजा मे वादपत्र पेश कर एकपक्षीय डिकी पारित करवाई जबकि अप्रार्थीगण वादी द्वारा प्रार्थीगण के काश्त करते समय दखलन्दाजी की तब प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने अप्रार्थीगण वादी को बेचान की गई भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण वादी इन्कार हो गये तब प्रार्थीगण प्रतिवादी ने 1985 मे खरीद की गई सम्पति बाबत दिनांक 05/07/2019 को सिविल न्यायालय में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का वादपत्र पेश किया जो वर्तमान समय में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और अप्रार्थीगण वादी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी हो रखा है इन सब तथ्यों की अप्रार्थीगण वादी को जानकारी होते हुए भी उन्होने बाले बाले एकपक्षीय डिकी पारित करवा ली और सिविल न्यायालय में चल रहे वादपत्र का कोई जिक नही किया , इसलिए जब तक हक अधिकार सिविल न्यायालय तय नहीं कर सकता है तब तक इस डिकी की आड मे अप्रार्थीगण वादीगण प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की भूमि मे हस्तक्षेप करेगे तो प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध भारी कुठाराघात होगा इसलिए न्या[illegible]लय हाजा द्वारा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की गई एकपक्षीय डिकी को सेटेसाइड किया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण मे जबाब पेश करने एवं अपने साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करावे जिससे कि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके क्योकि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय मे वादपत्र विचाराधीन है और दोनो पक्षो के हक अधिकार सिविल न्यायालय में तय होगे इसलिए दिनांक 11/06/2019 को पारित की गई एकपक्षीय डिकी को सेटेसाइड कर प्रकरण को पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर प्रार्थीगण को अपना जबाब एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिलावे। अन्य उजर बरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06/07/2021 को उक्त डिकी की प्रति प्रार्थीगण को बताकर उक्त सम्पति मे दखलन्दाजी करने की कोशिश की तब प्रार्थीगण को उक्त एकपक्षीय पारित डिकी की जानकारी होने से यह अन्दर मियाद [illegible] है। प्रार्थनापत्र पर निर्धारित प्रार्थनापत्र बाबत् सेटेसाइड डिकी का श्रीमान् के [illegible] क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्याय शुल्क पेश है तथा उक्त प्रार्थना [illegible] श्रीमान् के समक्ष पेश है । श्रीमान् को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible]या गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का
वाब है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद संख्या 196/18 अनवान
बूलाल वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा के विरूद्ध धारा 188 आर.टी. एक्ट का पेश
रने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सम्मन की प्रति पर व्यक्तिगत रूप से तामिली रिपोर्ट
ाने पर व दिनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा एकपक्षिय
ार्यवाही करने के आदेश दिए गए तत्तपश्चात वादी की साक्ष्य होने के उपरान्त बाद
हस दिनांक 11.06.2019 को एकपक्षिय निर्णय व डिक्री पारित की, जो विधिनुरूप व
याय संगत हैं तथा प्रार्थीगण ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने के जो
ाधार अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित किये जो समुचित व पर्याप्त तथा संतोषजनक नहीं
। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनो का जवाब है कि प्रार्थी संख्या 1 पढा
लेखा, सेवानिवृत फौजी हैं तथा वर्तमान में ग्राम डिगरना के बाजार में किराणा की
ुकान व व्यवसाय करता हैं। जिसने न्यायालय द्वारा आये सम्मन पर व्यक्तिगत रूप से
म्मन की तामिल कर प्राप्त किया व अपने हस्ताक्षर किए व प्रकरण के सभी तथ्यों की
ानकारी थी तो फिर प्रार्थीगण द्वारा यह कथन करना कि बुजुर्ग होकर बीमार रहने व
रिवार के सदस्यों को सूचित नहीं करना आदि के कथन गलत झूठे व मनमाने अंकित
केये हैं। न्यायालय के सम्मन की सम्यक रूप से तामिल होने पर ही न्यायालय द्वारा
देनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए, जो
सही हैं तथा प्रार्थी ने बीमार होने के कथन किए, परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर का
कोई प्रमाण - पत्र व पर्ची आदि भी नहीं हैं। प्रार्थीगण पुर्णतया स्वस्थ्य होकर अपना
काम करते हैं। 2 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में गलत झूठे अंकित किए हैं जिसे
अप्रार्थीगण/वादीगण नामन्जूर करते हैं तथा अप्रार्थीगण /तामिल वादीगण वक्त तामिल न
तो उपस्थित थे व न ही कुनिन्दा से कोई मिलीभगती की। जबकि प्रार्थी संख्या 1 स्व
शिक्षित सेवानिवृत फौजी था जिसने स्वयं ने अपने सगे भाई का सम्मन/नोटिस प्राप्त कर
सूचना करने का कहकर प्राप्त किए तो फिर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने को बुजुर्ग होकर
बीमार होना, कम दिखाई देना, सम्मन के बारे में जानकारी नहीं होना व न्यायालय में
इस कारण से उपस्थित नहीं होने आदि के कथन प्रार्थना पत्र करने की गज से गलत
व झूठे अंकित किए हैं जबकि श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत वाद के बाद प्रार्थीगण ने
श्रीमान सिविल जज साहब जैतारण के यहां 05 जुलाई 2019 को एक प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा व एक वाद संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का प्रस्तुत किया, जिसमें
प्रार्थीगण सजग रहकर पैरवी कर रहे हैं तो इस प्रकरण के सम्मन/नोटिस की तामील
प्रोपर नहीं होने के कथन कतई मानने योग्य नहीं हैं जबकि सम्मन/नोटिस की तामील
प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से होने पर व अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय
कार्यवाही के आदेश दिए व तत्तपश्चात दिनांक 11.06.2019 को वाद डिक्री हुआ, जो
न्यायसंगत है। 3. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 के कथनों का जवाब हैं कि इस पद में
अंकित कथनो का प्रार्थना पत्र से कोई रिलीवेन्सी नहीं है। जबकि बाद में वर्णित खसरा
नम्बर 761 रकबा 05-14 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण की पिछले 50 वर्षो से कब्जा
काश्त होने व अप्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा दिनांक 13.09.1985 को 7/ रूपये स्टाम्प
पर एक लिखित वैचान इकरार प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करने से लेकर आज दिन
तक कब्जा होने के कथन भी गलत हैं। जबकि कब्जे बाबत् कोई गिरदावरी या अन्य
दस्तावेज पेश नहीं किए जबकि तथाकथित लिखित का स्टाम्प प्रति प्रार्थी/वादी रामस्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

अपने लाभ के लिए लिया, जो फर्जी कुट रचित दस्तावेज हैं। उक्त भूमि बाबत् प्रार्थीगण के पिता ने कोई सौदा नहीं किया व ना हुआ न ही तथाकथित लिखित बेचान करार निर्धारित मुद्रांको पर निष्पादित नहीं होने से कानूनन प्रवर्तनीय नहीं हैं। उक्त दस्तावेज मियाद बाहर हैं तथा न ही उक्त भूमि के खातेदार हो सकते हैं जबकि अप्रार्थीगण/वादीगण ही उक्त भूमि के खातेदार व स्वामित्व की हैं। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी/प्रतिवादी रामस्वरूप ने दिनांक 05.07.2019 को एक सिविल वाद संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का विरूद्ध अप्रार्थीगण/वादी के पेश किया जिसमें दिनांक 20.09.201 को अप्रार्थीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके पद संख्या 5 में यह कथन किए कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद डिक्री दिनांक 11.06.2019 को विरूद्ध प्रार्थीगण के हुआ। जिससे भी प्रार्थीगण को राजस्व वाद की जानकारी हो गई थी। जिसके बाद प्रार्थीगण ने सम्यक रूप से होने पर व अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए व तत्तपश्चात दिनांक 11.06.2019 को वाद डिक्री हुआ, जो न्यायसंगत है। यह प्रार्थना पत्र एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने का 2 वर्ष 1 माह बाद बहुत ही देरीना प्रस्तुत किया, जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी को सम्मनोटिस की तामील सम्यक रूप से हो गई थी इसलिए पार्थी/प्रतिवादीगण के विरूब्द्ध एकपक्षीय डिक्री को अपारत करने के अपने प्रार्थना पत्र में पर्याप्त हेतुक/समुचित/संतोषजनक आधार अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है. व न ही म्याद को माफ करने बाबत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया तथा कानूनन डिक्री को अपारत करने की जानकारी दिनांक 20.09.2019 को होने के 30 दिन के भीतर आर्टिकल 123 के तहत भी प्रार्थना पत्र अन्दरम्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस तामीली में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई हैं। पूर्ववर्ती राजस्व बाद में पश्चातवर्ती सिविल बाद का अस्तित्व नहीं होने से कोई जिक्र नहीं किया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ – पत्र व दस्तावेज पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं हैं। मय खर्चा खारिज फरमावें।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 196/2018 बअनवान बाबूलाल वगैरह बनाम रामस्वरूप वगैराह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2019 को अपास्त किया जावे। अप्रार्थीगण ने एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन सूचना जारी की गई दिनांक 24.09.2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बावजूद तामिल के अनुपस्थित मानकर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बुजुर्ग व्यक्ति है तथा प्रकरण में सम्मन प्रार्थी संख्या एक को दे दिये जो बुर्जुग व्यक्ति है तथा लम्बे समय से बीमार रहते थे इस कारण से उक्त सम्मन नोटिस परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दे पाये और न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो पाये। प्रकरण में प्रार्थी संख्या दो गांव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

स्थित होने के बावजूद वादी ने जानबूझकर तामिल कुनिंदा से मिलीभगत कर सम्मन मिल प्रार्थी संख्या एक से करवाई गई, जिसकी सूचना प्रार्थी संख्या दो को नहीं हुई। तः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन पर हुई तामिल सम्यक तामिल नहीं मानी जा सकती। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.07.2021 को उक्त डिक्री की प्रति र्थीगण/प्रतिवादीगण को बता कर उक्त सम्पति में दखलंदाजी करने की कोशिश की तब र्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त एकपक्षीय डिक्री की जानकारी होने से प्रार्थनापत्र अन्दर याद पेश किया गया। अतः दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध रित एकपक्षीय डिक्री अपास्त कर प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को वाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करावें।

. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते ये कथन किया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन की प्रति पर व्यक्तिगत रूप से तामिली रिपोर्ट आने पर व दिनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर न्यायालय जा द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् वादी साक्ष्य एवं बहस उपरांत दिनांक 11.06.2019 को एकपक्षीय डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतः विधि अनुरूप एवं न्याय संगत है। प्रार्थी संख्या एक पढ़ा लिखा सेवानिवृत फौजी है तथा ग्राम डिगरना के बाजार में किराणा की दुकान व व्यवसाय करता है। तामिल कुनिदा द्वारा पूर्णतया सही एवं उचित तामिल करवाई गई है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विलम्बकाल को माफ करने बाबत् धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं है।

3. चुंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत एक पक्षीय डिक्री की जानकारी दिनांक 06.07.2021 को होना अंकित किया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य को किसी विश्वसनीय आधार पर खण्डित नही किया गया। लिहाजा यह माना जाना चाहिए कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत डिक्री की जानकारी 06.07.2021 को ही हुई है। तथा प्रार्थीगण द्वारा 15.07.2021 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो कानूनन अन्दर म्याद है।

4. आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विधिक प्रावधान निम्नानुसार है–

"प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामलो में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायलय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामिल सम्यक रूप से नही की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनो पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:05 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वादपत्र के सम्मन की प्रमाणित प्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी हापुराम वल्द घेवरराम के नाम जारी सम्मन रामस्वरूप द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से तामिल किया जाना अंकित है। इसी प्रकार रामस्वरूप वल्द घेवरराम के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला–पाली

म जारी सम्मन स्वयं रामस्वरूप द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से तामिल किया जाना अंकित । चूंकि प्रार्थीगण रामस्वरूप एवं हापुराम परस्पर भाई है तथा अप्रार्थीगण के जवाब के बुसार रामस्वरूप सेना से सेवानिवृत है, इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो भाई बालिग है। प्रार्थीगण द्वारा यह साबित नही किया गया है कि रामस्वरूप एवं हापुराम एक ही रिवार के सदस्य है। इसलिए यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रार्थीगण यस्क है तथा दोनो का स्वतंत्र अस्तित्व है लिहाजा प्रकरण में तामिल उपर्युक्त दोनो क्षकारान् की व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए थी, जो कि नही हुई है। अतः उक्त तामिल को सम्यक रूप से निष्पादित तामिल की श्रेणी में नही माना जा सकता है। तथा समुचित तामिल के अभाव में प्रार्थी हापुराम पुत्र घेवरराम के विरूद्ध दिनांक 24.09.2018 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त योग्य है। जिसके फलस्वरूप वादपत्र संख्या 196/2018 बाबूलाल वगैरह बनाम रामस्वरूप वगैरह में दिनांक 11.06.2019 को पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखुबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के राजस्व वादपत्र संख्या 196/2018 में प्रतिवादी संख्या 2 हापुराम पुत्र घेवरराम के विरूद्ध दिनांक 24.09.2018 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2019 को अपास्त कियां जाता है। राजस्व वादपत्र संख्या 196/2018 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली प्रतिवादी जवाबदावा में नियत कि जावे। प्रार्थनापत्र इसी मुताबिक निर्णित होकर बादतकमील संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:05 IST
Reason: SelfAttested